न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय/
(विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. ऐक्ट), चन्दौली।

फौजदारी मुकदमा सँख्या-295 सन् 2021

सरकार प्रति बिक्की बिन्द

मु.अ.सं. : 75/2021,
धारा : 8/20 एन.डी.पी.एस.ऐक्ट,
थाना : चन्दौली,
जिला : चन्दौली ।

<u>आरोप</u>

मैं, योगेश दुबे, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय/(विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. ऐक्ट), चन्दौली आप अभियुक्तः-

बिक्की बिन्द को निम्न् आरोप से आरोपित करता हूं :-

यह कि आपको दिनांक-03.04.2021 को समय 21:10 बजें, स्थान नवही पुलिया, वहद् थाना चन्दौली मे शक के आधार पर पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया और आप अभियुक्त की नियमानुसार जामातलाशी ली गयी तो आप अभियुक्त के पास 1 किलो 100 ग्राम नाजायज गाँँजा बरामद किया गया, जिसको रखने का आप के पास कोई लाइसेंस नहीं था। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा धारा 8/20 एन.डी. पी.एस. ऐक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अभियुक्त का विचारण उपरोक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक-27.08.2021 ई.

(योगेश दुबे)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय/
(विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. ऐक्ट),
चन्दौली।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनाँक-27.08.2021 ई.

(योगेश दुबे)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय/
(विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. ऐक्ट),
चन्दौली।